1	2	3	4
3601–	बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार को आवास योजना हेतु सहायता अनुदान	2,18,[illegible]	19438
4250–	बीड़ी कर्मकारों के लिये सहकारिता गोदामों तथा वर्क शैडों के निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	135	3000
6250–	अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के लिये ऋण	2923	4222
	कुल योग :	12,15,48	15,86,01

बीड़ी उद्योग से कल्याण उपकर के रूप में एकत्र की गयी राज्यवार धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(रु० हजारों में)

राज्य का नाम	वर्ष 1992–93	वर्ष 1993–94
आंध्र प्रदेश	21348	20799
बिहार	6357	7362
गुजरात	146	168
कर्नाटक	17596	15810
केरल	4792	4429
असम	—	—
मध्य प्रदेश	16369	17981
महाराष्ट्र	9434	9238
उड़ीसा	1487	1704
राजस्थान	1117	1172
तमिलनाडु	17747	17917
उत्तर प्रदेश	7606	6513
पश्चिम बंगाल	16369	18307
योग :	120360	121500

बीड़ी कर्मकारों के लिये चिकित्सा सुविधाएं

1864. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी कर्मकारों को उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे प्रत्येक चिकित्सा केन्द्र अथवा एकक को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही धनराशि, दवाइयों और

उपकरणों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान और इस वर्ष अब तक शुरू किये गये चिकित्सा केन्द्रों/एककों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या प्रत्येक केन्द्र को उपलब्ध कराये जा रहे उपकरण, कर्मचारी-गण और धनराशि अपर्याप्त है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है , और

(च) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पो० ए० संगमा) : (क) बीड़ी श्रमिकों की चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लिये बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत 155 औषधालय हैं जिनमें एक चेस्ट क्लीनिक और 3 अस्पताल शामिल हैं । बीड़ी श्रमिकों संबंधी स्वास्थ्य योजनाओं की सूची विवरण में दी गई है । *(नीचे देखिए)*

(ख) प्रत्येक औषधालय/अस्पताल में एक रोगी द्वारा एलोपैथिक औषधालय में एक बार जाने पर 4/- रु० के औसत मूल्य पर तथा आयुर्वेदिक औषधालय में 3/- रु० के औसत मूल्य पर दवाईयां दी जाती हैं । आने वाले रोगियों की औसत संख्या के आधार पर प्रत्येक औषधालय के लिये बजट तैयार किया जाता है । प्रत्येक चिकित्सा इकाई को अनुमोदित ढांचे (पैटर्न) के अनुसार उपकरण प्रदान किये जाते हैं ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिकों के लिये इलाहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत गुरसहायगंज में एक 10 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया गया है । मैसूर स्थित 10 बिस्तरों वाले एक अस्पताल की क्षमता को बढ़ाकर 50 बिस्तरों वाला अस्पताल कर दिया गया है ।

(घ) और (ङ) इस बात पर नजर रखने के लिये पूरे प्रयास किये जा रहे हैं कि बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिये श्रम कल्याण संगठन द्वारा चलाई जा रही चिकित्सा संस्थायें पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं और उनमें पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं तथा अनुमोदित ढांचे के अनुसार अपेक्षित कर्मचारी कार्यरत हैं ।

(च) 1993-94 के दौरान एलोपैथिक औषधालयों में प्रत्येक रोगी द्वारा एक बार जाने पर 2/- रु० की मूल्य की दवाईयों को बढ़ाकर 4/- रु० कर दिया गया है और आयुर्वेदिक औषधालयों में उन्हें 2/- रु० से बढ़ाकर 3/- रु० कर दिया गया है ।

विवरण

बीड़ी श्रमिक के लिए स्वास्थ्य योजनाओं की सूची

1. टी०बी० अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण ।

2. कैंसर से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों के उपचार के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति ।

3. मानसिक रोग से पीड़ित श्रमिकों का इलाज ।

4. चश्मों की खरीद के लिये बीड़ी श्रमिकों (परिवार श्रमिकों सहित) को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना ।

5. बीड़ी श्रमिकों के लिये कुष्ट संबंधी राहत ।

6. टी०बी० रोगियों का घर पर रहकर उपचार ।

7. महिला बीड़ी श्रमिकों के लिये प्रसूति सुविधा योजना ।

8. बीड़ी श्रमिकों को बन्ध्याकरण के लिये अतिरिक्त वित्तीय क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने संबंधी योजना ।

9. हृदय रोगों से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति करने संबंधी योजना ।

10. गुर्दा प्रत्यारोपण आदि के लिये बीड़ी श्रमिकों की वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति करने संबंधी योजना ।

11. सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत बीड़ी श्रमिकों के लिये समूह बीमा योजना ।

Labour Co-operative to Operate Closen Mills

1865. SHRSMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAl MEHTA Will the Minister of LABOUR he pleased to refer to the answer to Unstarred Question 45 given in the Rajya Sabha on 25th July, 1994 and state:

(a) what is the number of labour co-operatives formed throughout the country to take over closed industrial undertakings; and

(a) Why Government and trade unions haw shown lack of enthusiasm on the formation of labour co-operatives?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PA.
SANGMA): (a)' and (b) As per the provisions of the Sick Industrial Companies (Spelial Provisions) Act, 1985, it is mandatory for the management of a sick industrial company la make reference to the Board for industria and Financial Reconstruction (BIFR). Revival of sick industrial companies through workers* cooperative is one of the measures envisaged under the Act.

According to the aviilable information BIFR has so far sanctioned five *schemes for* revival of sick industrial companies through workers* cooperative. These are:

1. Kamani Tubes Ltd. — Bombay

2. New Central Juts Mills — Cal cutta

3. Powder Metals & Alloys Ltd. — Thane

4. Kamani Metal &. Alioys Ltd — Bombay

5. HES Ltd. — Bombay

While the schemes at Serial No. 1 and 2 sbove are under implementation, the other three schemes have not yet taken op. Ministry of Labour as a matte" of general policy does encourage, *inter-alja,* rehabilitaiton schemes through employees' cooperatives. Industry-wise Tripartite Committees have resolved that at t"is enterprise level, managements and employees could get together and formulate rehabilitation proposals and bring the same for their consideration. Suchproposals can also be cooperative based ones.

Safety of Child Labour

1866. SHRI VIREN I. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what steps have been taken during' each of the last three years with regard to Ihe health and safety of child labour working in industries and in different fields and also to remove their exploitation;

(b) how many special school* have been opened during the last three years (year-wise) under the Child Labour Programme to cater to the needs of such children;

(c) what are the concrete achieve ments of the centrally sponsored non-formal erucation scheme launched more than 15years ago to serve children not stending schools; and

(d) what are the main recommenda tions and concrete action taken by Go vernment on the recommendations on Child Labour of the Gurupadaswamy Committee and the task force on Child labour set up under the Cbairananship